

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी: सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 177 / 2024 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2024/225)

पंजीयन दिनांक– 12 / 09 / 2024

निर्णय दिनांक– 13 / 04 / 2026

1. आजाद मोहम्मद पिता इमामबक्ष शेख, निवासी सतपुडा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलांत

**बनाम**

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
2. पटवारी हल्का, सतपुडा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

—रेस्पोडेंट्स

उपस्थिति:—

1. श्री हबीबुरहमान खान पठान — अधि. अपीलांत
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राज. अभिभाषक — अधि. रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 34 / 2023 (रा. अ.) निर्णय दिनांक 19.12.2023

**निर्णय**

दिनांक 13 / 04 / 2026

अपीलांत द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 34 / 2023 (रा. अ.) निर्णय दिनांक 19.12.2023 के विरुद्ध दिनांक 12.09.2024 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन चाहने के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 29.09.2021 को अपीलांत को मौजा सतपुडा की आराजी नम्बर 798 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि का किस्म बिलानाम से बेदखल करने एवं लगान का पचास गुणा पेनल्टी लगाने का आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 34/2023 (रा. अ.) निर्णय दिनांक 12.09.2023 से अपीलांत की अपील खारिज की जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांत द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.09.2023 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:— *“उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 34/2023 (रा. अ.) अनवानी रमजान मोहम्मद बनाम सरकार अपील अपीलार्थी मयाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण (दोनों) पर बलहीन होकर सारहीन होने से खारिज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 482/2021 निर्णय दिनांक 29.09.2021 अनवानी सरकार बनाम रमजान को यथावत रखा जाकर तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 29.09.2021 की पुष्टि की जाती है। ”*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया

गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री हबिबुलरहमान खान पठान उपस्थित व रेस्पोंडेंट्स की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 09.04.2026 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा ग्राम सतपुडा की आराजी नम्बर 798 रकबा 0.01 हैक्टेयर बिलानाम भूमि पर विगत 100 वर्षों से भी अधिक समय से कच्चा निर्माण कर निवास हेतु उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य भूमि पर अतिक्रमण नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये प्रथम सुनवाई पर ही प्रार्थना-पत्र बिना किसी साक्ष्य सबुत के केवल मात्र पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट को आधार मानते हुए बेदखली व शास्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश पारित किये, वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 12.09.2023 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 12.09.2023 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील मयाद बाहर पेश की। मयाद उपशमन हेतु अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों, अपील पर मनन करने एवं शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 29.09.2021 को अपीलांत को मौजा सतपुडा की आराजी नम्बर 798 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि का किस्म बिलानाम से बेदखल करने एवं लगान का पचास गुणा पेनल्टी लगाने का आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 34/2023 (रा. अ.) निर्णय दिनांक 12.09.2023 से अपीलांत की अपील खारिज की जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांत द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गई।

अपीलांत का तर्क रहा है कि विवादित भूमि पर उनका 100 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा है। प्रथम तो अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांत द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जो अपीलांत का 100 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार कब्जे को साबित करता हो। न ही अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त पत्रावली अनुसार यह स्थिति भी स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा स्वीकार किया गया है। न ही अपीलांत द्वारा आरोपित शास्ति जमा कराई गई, जो रसीद के अभाव में साबित होता है। अपीलांत अपने कब्जे को विधि के प्रवर्तन में विधि के अनुसरण में स्थापित करने में विफल रहा है जिसका परिणाम बेदखली विधि में प्रावधानित है। इस बेदखली के

कार्यवाही में नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आवंटन अथवा नियमन व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर सरकार का विवेकाधिकार है।

दौराने बहस एवं जरिये अपील में, अपीलांत अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांत अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई थी, जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना कि अपीलांत को तहसीलदार के आदेश की जानकारी ससमय थी, जिससे उक्त समक्ष प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के मयाद के बिन्दु पर किये गये विवेचन का समर्थन करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत अपील मयाद बाधित होने उपरान्त भी अपीलीय न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर प्रकरण का परिक्षण कर विधिक तरिके से तहसीलदार के आदेश का समर्थन किया। विधिक स्थिति है कि अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलांत हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साक्ष्य के आधार पर साबित करने में असफल रहा है। अपीलांत द्वारा यह भी सफलतापूर्वक खण्डन नहीं किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में क्या विधिक त्रुटि है।

विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि होकर अपीलांत द्वारा अतिक्रमण होने पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलांत को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश एवं अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। साथ ही हमारी सुविचारित राय में

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किये हैं, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णयों में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों यथा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2023 एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 29.09.2021 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

(सी. आर. देवासी)  
अति.संभागीय आयुक्त  
उदयपुर

मिसल शुमार फ़ैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)  
अति.संभागीय आयुक्त  
उदयपुर